



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
कार्यालय वास्तुविद नियोजक  
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम गाजियाबाद  
कैम्प कार्यालय नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016



पत्र सं०- 85

/ वा०नि०-5

/ P.M.A.Y.

/ दिनांक- 09/11/19

सेवा में,

अधिकाारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-29,  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद  
सेक्टर-13, ऑफिस काम्पलेक्स,  
तृतीय तल पं० दीनदयाल उपध्यायपुरम्,  
सिकन्दरा योजना, आगरा।

106  
101  
10-7A  
10-7A  
10-7A

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी में करहल रोड पर औडेण्य पडरिया गाटा संख्या-4983/4 क्षेत्रफल 1.618 हेक्टेयर (4.00 एकड़) में से 1.50 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु अनुमोदित ले-आउट प्लान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण के संबन्ध में अपर आवास आयुक्त(म०) के पत्र संख्या-14/अभियन्त्रण अनुभाग/अपर आवास आयुक्त कैम्प दिनांक-18.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को जिलावार प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले ई०डब्ल्यू०एस० प्लेटों/भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके अनुक्रम में आपके द्वारा अपने पत्रांक -18.05/यू.पी.एच.डी.बी./सी.डी-29/आगरा/084 /डब्लू/7ए/102 दिनांक-17.12.2018 के माध्यम से जनपद मैनपुरी में करहल रोड पर ग्राम औडेण्य पडरिया के गाटा संख्या-4983/4 क्षेत्रफल 1.618 हेक्टेयर में से 1.50 हेक्टेयर (15000.00 वर्ग मी०) भूमि पर प्रथम चरण वित्तीय वर्ष-2018-19 हेतु 180 नग, वित्तीय वर्ष-2019-20 हेतु 240 नग एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 80 नग कुल 500 नग भवनों हेतु भूमि का सर्वे सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव के क्रम में इस कार्यालय द्वारा ले-आउट/प्रस्ताव पर आपके द्वारा पत्र संख्या-1854/यू.पी.एच.डी.बी./पी.एम./सी.डी-29/आगरा/डब्लू-7ए/110 दिनांक-26.12.2018 के द्वारा फिजिबिलिटी आख्या प्रेषित की गई।

उपरोक्तानुसार आपके द्वारा प्रेषित फिजिबिलिटी के सापेक्ष इस कार्यालय द्वारा ले-आउट प्लान को अन्तिम स्वरूप प्रदान कर आवास आयुक्त(म०) द्वारा निम्न शर्तों सहित दिनांक-07.01.2019 को अनुमोदित किया गया।

1. "प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत परिषद को दिये गये निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उक्त योजना में भवनों के निर्माण से पूर्व डिमाण्ड सर्वे कराया जाना होगा।"

उपरोक्तानुसार आवास आयुक्त(म०) के द्वारा दिये गए उक्त निर्देशों सहित अनुमोदित ले-आउट प्लान आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

Shri Navratam Singh / A.E / I

18.12  
2018  
14/11/19

भवदीय  
09/11/19  
(अजित कुमार दुबे)  
वास्तुविद नियोजक  
दिनांक--

पृ० सं०-

/ वा०नि०-5

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, षष्ठम वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-13, ऑफिस काम्पलेक्स, सिकन्दरा योजना, आगरा।
3. प्रभारी अधिकारी पी.एम.ए.वाई., पी.एम.ए.वाई प्रकोष्ठ, (अभियन्त्रण अनुभाग), 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

वास्तुविद नियोजक